भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2421
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019/17, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर नियमों में संशोधन

2421. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी नियमों में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करने के संबंध में कोई विचार नहीं किया है। ऐसे किसी संशोधन की आवश्यकता तभी हो सकती है यदि सीएसआर 2018 संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा ऐसी अनुशंसा की जाती है और सरकार इसे स्वीकार कर लेती है।

*****